सामान्य
17/2/2023

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बारां (राज.)

Email id- ad.barn.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 07453-237060

क्रमांक / स्था0 / 22—23 / दिनांकः—

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां।

विषयः— दिनांक 01.04.2023 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, बारां द्वारा जिले सभी राज्य कर्मचारियों, जिनकी राज्य बीमा पॉलिसियां 01.04.2023 को परिपक्व हो रही है, का शत प्रतिशत भुगतान के लिए राज्य बीमा स्वत्व अभियान 01.04.2023 किया जा रहा है।

अतः आप श्रीमान कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 2004 दिनांक 08.02.2023 को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाकर एवं अधिक से अधिक आपके अधिनस्थ समस्त आहरण—वितरण अधिकारियों को सूचित किये जाने का श्रम करावें।

संलग्नः— जिला कलक्टर पत्रांक 2004 / 8.2.2023

भवदीय

sd
(जूही अग्रवाल)
सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
बारां

दिनांकः—13-2-2023

क्रमांक :— 976
प्रतिलिपीः—
1. संस्थापन।
2. रक्षित प्रति।

13.02.23
सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
बारां

अति. प्रशासनिक अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बारां

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारा

क्रमांक: बीमा / 2023 / 2004 दिनांक: 8-2-2023

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
जिला– बारां।

विषय:–दिनांक 01 अप्रैल 2023 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवानिवृत होने वाले कार्मिक जिनकी जन्म तिथि 01.04.1963 से 31.03.1964 तक है की राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 01 अप्रैल 2023 को परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां में ऐसे लगभग 418 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाईल पर एस.एम.एस एवं दूरभाष द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है।

वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें, इसके अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेने की भी ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है।

अत: बारां जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों का बीमा क्लेम प्रकरण सभी आवश्यक दस्तावेज (मूल पॉलिसी, बीमा पासबुक, पदस्थापन विवरण, बैंक पासबुक की फोटो प्रति /कैंसिल चैक) स्कैन कर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाईन सबमिट करना सुनिश्चित करावें ताकि दिनांक 01 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाले समस्त प्रकरणों का शत–प्रतिशत भुगतान किया जा सके।

यदि किसी कार्मिक को राज्य बीमा दावा ऑनलाईन करने में विलम्ब के कारण स्वत्व राशि भुगतान प्राप्त करने में देरी/विलम्ब होती है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

जिला कलक्टर,
बारां

Scanned with CamScanner